

F.No.14(4)/1/2025-R.M.
Government of India
Ministry of Culture
National Archives of India
Janpath, New Delhi – 110 001
E-mail: dg-nai@gov.in, nairmdivision@gmail.com
Website: www.nationalarchives.nic.in

Dated 30 APR 2025

To,

As per list

(President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Cabinet Secretariat/All Ministries/All Departments of the Government of India/PSUs)

Subject: Nomination of Records Officers.

Sir/Madam,

As you might be aware, Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 read with Rule 3 of Public Records Rules, 1997 (extracts enclosed) stipulates that each Records Creating Agency shall nominate one of its officers as Records Officer to discharge functions outlined under the various sections of the said Act. In pursuance of the above statutory requirements, this Department has been requesting all the Ministries/ Departments/ Offices/ Organizations etc. to nominate one of their officers as Records Officer.

You are therefore requested to nominate Records Officer of your Ministry/ Department and provide details in the following format on priority basis:

1. Name of Records Officer
2. Designation
3. Date of Nomination
4. Contact Details:
 - a. Postal Address
 - b. Phone No.
 - c. Fax No.
 - d. E-mail ID

You are also requested to issue directions to all the attached/ subordinate offices/statutory bodies, PSUs etc. functioning under your administrative control to nominate one of their officers as Records Officer and send their details (as mentioned above) to this Department at the earliest.

A copy of OM nominating the Records Officer should also be endorsed to this Department as required under the provision of Rule 3 of Public Records Rules, 1997.

Yours faithfully,

(Syed Farid Ahmad)
Deputy Director of Archives
Government of India
Tel: 011-23388557/22381467

मि.स. 14(4)/1/2025-आर.एम.

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय,

राष्ट्रीय अभिलेखागार

जनपथ, नई दिल्ली 110001

ई मेल: dg-nai@gov.in, nairmdivision@gmail.com

वेब साइट: www.nationalarchives.nic.in

दिनांक 30 APR 2025

सेवा में,

सूची अनुसार

राष्ट्रपति का सचिवालय, उपराष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

विषय: अभिलेख अधिकारी का नामांकन।

महोदय/ महोदया,

जैसा कि आपको विदित होगा कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 5(1) के साथ पठित लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 (उद्धरण संलग्न हैं) में निर्देशित है कि प्रत्येक अभिलेख सृजक संस्था अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करेगी जो उपरोक्त लोक अभिलेख अधिनियम की विभिन्न धाराओं में निहित कार्यों/ शक्तियों/ अधिकारों का पालन करेगा। उपरोक्त सांविधिक प्रावधान के अनुसरण में यह विभाग सभी मंत्रालयों/ विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि, से अनुरोध करता है कि वे अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करें।


इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने मंत्रालय/विभाग के अभिलेख अधिकारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र इस विभाग को प्रेषित करें।

1. अभिलेख अधिकारी का नाम:
2. पद:
3. नामित होने की तिथि:
4. पूरा पता:
 - (क) डाक पता:
 - (ख) दूरभाष:
 - (ग) फ़ैक्स:
 - (घ) ई मेल:

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने सभी संलग्न/ अधीनस्थ कार्यालयों/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि, जो आपके अधीन कार्यरत हैं, को निर्देश जारी करें कि अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करें एवं उसके विवरण (जैसा कि ऊपर दिया है) को इस विभाग को भेजें।

अभिलेख अधिकारियों को नामित करने से सम्बन्धित सभी परिपत्र, जैसा कि लोक अभिलेख नियम, 1997 के नियम 3 के अन्तर्गत आवश्यक है, की एक प्रति इस विभाग को भी अवश्य प्रेषित करें।

भवदीय,



(सैयद फरीद अहमद)

अभिलेख उप निदेशक

दूरभाष नं : 011- 2338557/22381467

संलग्न: जैसा कि ऊपर दिया है